न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 09 / 2022(2022 / 33)

1. प्रहलाद पुत्र श्री गोरू कुमावत जाति कुमावत निवासी बाजटा तहसील सावर जिला अजमेर। ---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रंगलाल पुत्र श्री रामसुख कुमावत।
2. रामेश्वर पुत्र श्री कल्याण कुमावत।
   निवासीगण ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी जिला अजमेर। ---- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-
[redacted] वकील :- श्री सीताराम कुमावत
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2071–74** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
534–319	2182 / 1427 2184 / 976 2185 / 978	0.49 0.12 1.00	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 3	रकबा 1.61हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थी ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा हैं। वर्णित आराजीयात में प्रार्थी की मां का भी हिस्सा था। प्रार्थी की मां ने अपना हिस्सा प्रार्थी के हक में हक त्याग कर दिया है। इस प्रकार वर्णित आराजी एकमात्र प्रार्थी के कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग की आराजी है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा एवं अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 3 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 3 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थिति है। प्रार्थी द्वारा अपने आराजीयात पर पत्थरगढी कराने के आदेश करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:40:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा कोई आपत्ति नही होना बताया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब जवाब में राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या नया पुराना 534–319 के कुल किता 3, कुल रकबा 1.61हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.16 10:40:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner